

**अनुबंध**



अनुबंध: 1

विशेष आर्थिक क्षेत्रों पर तथ्य पत्रक

1 अप्रैल 2020 तक (संदर्भ पैराग्राफ 1.9)

औपचारिक अनुमोदनों की संख्या	421		
अधिसूचित सेज़ की संख्या	354 प्लस 7 केंद्र सरकार प्लस 12 राज्य/निजी. सेज़		
परिचालित सेज़	248		
सेज़ में अनुमोदित ईकाइयां	5,524		
निवेश	निवेश	वृद्धिशील निवेश	कुल निवेश
	(फरवरी 2006 तक)		(1 अप्रैल 2020 तक)
केन्द्र सरकार सेज़	₹2,279 करोड़	₹1,18,278 करोड़	₹20,557 करोड़
2006 से पहले स्थापित राज्य/निजी सेज़	₹1,756 करोड़	₹11,777 करोड़	₹13,534 करोड़
अधिनियम के तहत अधिसूचित सेज़	-	₹5,37,644 करोड़	₹4,75,693 करोड़
<b>कुल</b>	<b>₹4,035 करोड़</b>	<b>₹5,67,699 करोड़</b>	<b>₹5,71,735 करोड़</b>
रोजगार	रोजगार	वृद्धिशील रोजगार	कुल रोजगार
	(फरवरी 2006 तक)		(1 अप्रैल 2020 तक)
केंद्र सरकार के सेज़	1,22,236 व्यक्ति	75,541 व्यक्ति	1,97,777 व्यक्ति
2006 से पहले स्थापित राज्य/निजी सेज़	12,468 व्यक्ति	96,656 व्यक्ति	1,09,124 व्यक्ति
अधिनियम के तहत अधिसूचित सेज़	0	19,31,404 व्यक्ति	19,31,404 व्यक्ति
<b>कुल</b>	<b>1,34,704 व्यक्ति</b>	<b>21,03,601 व्यक्ति</b>	<b>22,38,305 व्यक्ति</b>
निर्यात निष्पादन			
वर्ष	निर्यात		वर्ष दर वर्ष वृद्धि प्रतिशत
वि.व. 16	4,67,337		1
वि.व. 17	5,23,637		12
वि.व. 18	5,81,033		11
वि.व. 19	7,01,179		21
वि.व. 20	7,96,669		14

कुल निवेश	2015-16 ₹ करोड़ में	2016-17 ₹ करोड़ में	2017-18 ₹ करोड़ में	2018-19 ₹ करोड़ में	2019-20 ₹ करोड़ में
केंद्र सरकार के सेज़	15,178	15,974	19,381	18,677	20,557
2006 से पहले स्थापित राज्य/निजी सेज़	10,169	11,478	12,952	13,274	13,534
अधिनियम के तहत अधिसूचित सेज़	3,51,147	4,05,690	4,59,979	4,75,693	5,37,644
<b>कुल</b>	<b>3,76,494</b>	<b>4,33,142</b>	<b>4,92,312</b>	<b>5,07,644</b>	<b>5,71,735</b>
रोजगार (व्यक्ति में)	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
केंद्र सरकार के सेज़	2,38,382	2,34,861	2,39,870	2,28,037	1,97,777
2006 से पहले स्थापित राज्य/निजी सेज़	84,004	95,970	1,00,669	1,03,052	1,09,124
अधिनियम के तहत अधिसूचित सेज़	12,68,995	14,48,020	16,56,071	17,29,966	19,31,404
<b>कुल</b>	<b>15,91,381</b>	<b>17,78,851</b>	<b>19,96,610</b>	<b>20,61,055</b>	<b>22,38,305</b>

स्रोत: [www.sezindia.nic.in](http://www.sezindia.nic.in)

अनुबंध: 2

डीआरआई द्वारा पता लगाए गए शुल्क अपवचन के मामले (योजना-वार)

(संदर्भ पैराग्राफ 1.13.1)

क्र.सं.	योजना	वि.व.16	वि.व. 17	वि.व. 18	वि.व. 19	वि.व. 20
		मामलों की संख्या	मामलों की संख्या	मामलों की संख्या	मामलों की संख्या	मामलों की संख्या
		शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
		(₹ करोड़ में)	(₹ करोड़ में)	(₹ करोड़ में)	(₹ करोड़ में)	(₹ करोड़ में)
1	अंतिम उपयोग और अन्य अधिसूचना शर्तों का दुरुपयोग।	69	29	48	60	17
		770.48	15.91	117.50	539.47	117.90
2	ईपीसीजी का दुरुपयोग	64	53	37	32	77
		454.92	311.96	237.47	72.90	389.42
3	अवमूल्यांकन	92	154	346	80	45
		254.37	184.89	1825.42	301.01	106.85
4	गलत घोषणा करना	112	167	163	211	179
		1,187.61	309.09	184.72	791.89	349.45
5	प्रतिअदायगी योजना का दुरुपयोग	94	58	146	21	83
		1,150.46	99.70	40.22	6.87	257.71
6	ईओयू /ईपीजेड/सेज़ का दुरुपयोग	18	6	3	3	2
		9.54	37.34	1.05	4.95	1.57
7	डीईईसी / अग्रिम लाइसेंस का दुरुपयोग	12	55	79	178	70
		15.21	265.21	293.54	3,433.40	335.73
8	अन्य	170	145	118	167	288
		2,780.73	198.08	364.74	1,077.70	624.80
	कुल	631	667	940	752	761
		6,623.32	1,422.18	3,064.65	6,228.19	2,183.43
	शामिल वस्तु					रेडीमेड कपड़े, सीआरजीओ कॉइल्स, फथैलिक एनहाइड्राइड, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, सिरेमिक रोलर, आईटी और आईटी सक्षम सेवाएं, ठंडा झींगा और झींगा, प्राकृतिक रबड़ इत्यादि

स्रोत: डीआरआई, नई दिल्ली पत्र दिनांकित 3 मार्च 2021

अनुबंध: 3

आयातों का गलत वर्गीकरण

(संदर्भ पैराग्राफ 3.7)

क्र.सं.	डीएपी सं	विषय	आपत्ति राशि (₹ लाख में)	स्वीकृत राशि (₹ लाख में)	वसूल की गई राशि (₹ लाख में)	आयुक्तालय	वस्तु
1	6	गलत वर्गीकरण के कारण आईजीएसटी का कम उद्ग्रहण	14.38	14.38	17.82	आईसीडी, इरुगट्टुकोट्टई	डोर ग्लास
2	8	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	44.54	44.54	55.73	आईसीडी, इरुगट्टुकोट्टई	स्टियरिंग कॉलम और एयर बैग
3	14	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	14.29	14.29	17.58	सीमा शुल्क आयुक्त (चेन्नई II)	ब्रैकेट कैम शाफ्ट
4	23	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	25.02	207.00		सीमा शुल्क आयुक्त (चेन्नई II)	पामेस्टर
5	28	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	12.61	12.61		सीमा शुल्क हाउस मुंद्रा	रि-मेल्टेड जिंक
6	30	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	11.12	11.12	14.53	एसीसी, बेंगलुरु	नियंत्रक इकाई
7	33	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	9.93	9.93	12.85	एसीसी, बेंगलुरु	थर्मल इंजन थियोन सेंसर एसए
8	37	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	8.25	8.25	10.75	एसीसी, बेंगलुरु	अकार मापने वाले उपकरण
9	38	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	11.31	11.15	11.15	तुगलकाबाद, दिल्ली	मशीन से बने नाइलोन टफेड कारपेट
10	39	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	27.90	27.90	33.68	एनसीएच, आयात, दिल्ली	हाइड्रोलिक पंप
11	41	गलत वर्गीकरण के कारण सीमा शुल्क का कम उद्ग्रहण	43.13	14.75	15.91	सीमा शुल्क आयुक्त, हैदराबाद	स्वेटर और नई सूती जैकेट

2021 की प्रतिवेदन संख्या 18 - संघ सरकार (अप्रत्यक्ष कर- सीमा शुल्क)

क्र.सं.	डीएपी सं.	विषय	आपति राशि	स्वीकृत राशि	वसूल की गई राशि	आयुक्तालय	वस्तु
			(₹ लाख में)	(₹ लाख में)	(₹ लाख में)		
12	54	गलत वर्गीकरण के कारण कम उद्यहण	23.91	23.91	24.31	चेन्नई (समुद्र)	रेल-सह-सड़क वाहन
13	62	माल के गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्यहण	19.44	19.50	19.50	एनसीएच, आयात, दिल्ली	आई बोल्ट / कॉटेक्ट बोल्ट
14	63	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्यहण	10.57	11.76	11.76	एनसीएच, आयात, दिल्ली	टैक्सीअल / पीक अप एकसीलरोमीटर
15	65	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्यहण	27.08	27.08	31.42	एनसीएच, आयात, दिल्ली	पीक अप जायप्रोस्कोप
16	66	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्यहण	25.36	25.36	0.35	सीमा शुल्क आयुक्त, हैदराबाद	इन्फ्रारेड / फ्लो माइक्रोस्कोप
17	70	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्यहण	15.56	15.56	21.02	तुगलकाबाद, दिल्ली	पल्सर कॉइल/प्लेट
18	71	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्यहण	18.86	18.86		एनसीएच, आयात, दिल्ली	आउटडोर क्वाड/इयूल/पेंटा बैंड
19	72	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्यहण	12.77	2.93	2.93	एनसीएच, मुंबई	सन ग्लासेस/गोगल्स
20	74	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्यहण	12.87	12.87	16.50	एनसीएच (आयात) दिल्ली	रिसीवर ट्रांसमीटर
21	75	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्यहण	12.86	12.86	14.08	एनसीएच (आयात) दिल्ली	कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर
22	77	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्यहण	9.92	9.92	11.22	आईसीडी, तुगलकाबाद, दिल्ली	पॉली कोटेड पेपर
23	78	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्यहण	46.47	4.34	4.34	आईसीडी, तुगलकाबाद, दिल्ली	कॉनीकल स्प्रिंग्स

2021 की प्रतिवेदन संख्या 18 - संघ सरकार (अप्रत्यक्ष कर- सीमा शुल्क)

क्र.सं.	डीएपी सं	विषय	आपति राशि (₹ लाख में)	स्वीकृत राशि (₹ लाख में)	वसूल की गई राशि (₹ लाख में)	आयुक्तालय	वस्तु
24	79	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क (आईजीएसटी) का कम उद्ग्रहण	10.01	10.01	17.03	जेएनसीएच, मुंबई	आर्गन ऑयल वेक्स, ग्रीन एप्पल वेक्स, गोल्ड वेक्स, पर्ल वेक्स
25	83	कोटेड फेब्रीक के गलत वर्गीकरण के कारण ब्याज और आईजीएसटी का कम उद्ग्रहण	11.94	11.94	12.40	सीमा शुल्क (पत्तन), कोलकाता	कोटेड फेबरिक
26	84	आयातित माल के गलत वर्गीकरण के कारण सीमा शुल्क का कम उद्ग्रहण	11.44	11.44		सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त, पेट्रापोल	आयरन और स्टील शाफ्ट
27	87	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	38.39	7.50	3.84	आईसीडी, तुगलकाबाद, दिल्ली	पॉलिएस्टर से बने रिबन/ वेव टेप /वेबिंग
28	88	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	23.42	23.42		एनसीएच (आयात), दिल्ली	एयर क्राफ्ट के लिए फ्यूल मीटर
29	89	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	13.56	13.56	14.59	आईसीडी, पटपड़गंज, दिल्ली	लेच बक्कल, प्लेट और लॉक बार
30	90	अधिसूचना लाभ की गलत स्वीकृति के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	11.62	11.62		एनसीएच (आयात), दिल्ली	एयर कंडीशनर का डिस्प्ले पीसीबी और पीसीबी
31	96	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	20.75	20.75	12.91	एनसीएच (आयात), दिल्ली	मोटर साईकिल/दूपहिया पार्ट्स
32	97	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	32.60	32.60		एनसीएच, मुंबई	वाटर फिल्टर पार्ट्स
33	111	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	43.79	43.79		आईसीडी, तुगलकाबाद, दिल्ली	डिस्चार्ज वाल्व
34	113	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	36.17	36.17	36.17	एनसीएच (आयात) दिल्ली	एयर कंडीशनर के लिए ओडीयू नियंत्रक इकाई

2021 की प्रतिवेदन संख्या 18 - संघ सरकार (अप्रत्यक्ष कर- सीमा शुल्क)

क्र.सं.	डीएपी सं	विषय	आपति राशि	स्वीकृत राशि	वसूल की गई राशि	आयुक्तालय	वस्तु
			(₹ लाख में)	(₹ लाख में)	(₹ लाख में)		
35	114	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	44.95	44.95		एनसीएच( आयात) दिल्ली	ब्लूटूथ मॉड्यूल
36	117	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	27.64	27.64	35.96	एनसीएच (आयात) दिल्ली	मोबाइल फोन
37	119	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	9.78	10.64	5.13	एनसीएच (आयात) दिल्ली	फीट अल्टीमीटर/ एन्कोडिंग अल्टीमीटर
38	121	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	15.58	12.04	0.11	आईसीडी, तुगलकाबाद, दिल्ली	पीसीबी के लिए सोल्डर मास्क
39	125	तस्करी के सामान पर दी गई अस्वीकार्य छूट और गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	21.72	21.72		सीमा शुल्क, शिलांग	माइक्रो एसडी मेमोरी कार्ड
40	129	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	42.38	42.38	64.00	सीसेज, कक्कानड, कोच्चि	केबल ऐसेम्बली
41	137	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	41.35	41.35	51.08	एनसीएच (आयात) दिल्ली	हीट एक्सचेंजर्स
		<b>कुल</b>	<b>915.24</b>	<b>984.39</b>	<b>600.65</b>		



2021 की प्रतिवेदन संख्या 18 - संघ सरकार (अप्रत्यक्ष कर- सीमा शुल्क)

अनुबंध : 4

छूट अधिसूचना को गलत लागू करना

(संदर्भ पैराग्राफ 3.8)

क्र.सं.	डीएपी सं	विषय	आपत्ति की गई राशि (₹ लाख में)	स्वीकृत राशि (₹ लाख में)	वसूल की गई राशि (₹ लाख में)	आयुक्तालय	वस्तु
1	2	आईजीएसटी दर को गलत लागू करने के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	12.36	11.28	11.28	चेन्नई (समुद्र)	जिम उपकरण
2	3	मूल सीमा शुल्क दर को गलत लागू करने के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	10.71	10.71	11.84	चेन्नई (समुद्र)	जेन्टस जूते
3	4	बीसीडी की दर को गलत लागू करने के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	17.29	17.29		आईसीडी, चेन्नई	कृषि मशीनरी के घटक/पुर्जे
4	5	अधिसूचना लाभ के गलत विस्तार के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	10.64	10.64	12.99	चेन्नई (वायु)	इंगो फ़ीड / शिरीम्प फ़ीड
5	9	आईजीएसटी दर को गलत लागू करने के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	38.67	38.67	50.41	सीमा शुल्क (चेन्नई-II)	पंप असेंबली इंजन ऑइल
6	11	आईजीएसटी का भुगतान न करना	32.70	32.70		सीमा शुल्क (पतन), कोलकाता	स्टैंडर्ड न्यूज प्रिंट
7	25	गलत छूट स्वीकृति के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	22.27	22.27		सीमा शुल्क (निवारक), कोचीन	आईपी निगरानी और अभिगम नियंत्रण प्रणाली
8	34	टैरिफ मूल्य के कम निर्धारण के कारण मूल सीमा शुल्क और एकीकृत कर का कम उदग्रहण	44.99	44.99	46.31	एसीसी, अहमदाबाद	थर्मल इंजन थियोन सेंसर एसए
9	55	आईजीएसटी अनुसूची के तहत माल के गलत वर्गीकरण के कारण एकीकृत कर (आईजीएसटी) का कम उदग्रहण	10.70	10.70	13.80	सीमा शुल्क हाउस, मुंद्रा	बिटुमेन 60/70 ग्रेड और कार्बन ब्लैक

2021 की प्रतिवेदन संख्या 18 - संघ सरकार (अप्रत्यक्ष कर- सीमा शुल्क)

क्र.सं.	डीएपी सं	विषय	आपत्ति की गई राशि (₹ लाख में)	स्वीकृत राशि (₹ लाख में)	वसूल की गई राशि (₹ लाख में)	आयुक्तालय	वस्तु
10	57	आईजीएसटी अनुसूची के तहत माल के गलत वर्गीकरण के कारण एकीकृत कर (आईजीएसटी) का कम उद्ग्रहण	11.27	11.27	13.32	एसीसी, अहमदाबाद	पम्प एसेम्बली फुल बूस्ट
11	59	आईजीएसटी का कम उद्ग्रहण	16.81	16.81	12.73	एसीसी, शमशाबाद	विद्युत एक्यूमूलेटर के लिए प्लास्टिक के भाग
12	61	सौर सेलों पर सुरक्षा शुल्क का उद्ग्रहण न करना	21.98	21.98	23.47	सीमा शुल्क (चेन्नई-II), सीमा शुल्क हाउस, चेन्नई	सौर सेल
13	93	आईजीएसटी का उद्ग्रहण न करना	9.10	9.10	10.51	पुणे	एनवीएच टेस्ट बेंच-प्रयुक्त पावर ट्रेन ध्वनिक
14	95	अधिसूचना लाभ के गलत स्वीकृति के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	11.63	11.63	12.01	सीमा शुल्क (आयात), आईसीडी तुगलकाबाद नई दिल्ली	ई-रिक्शा/ऑटोमोबाइल के पुर्जे
15	109	गलत आईजीएसटी दर के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	11.10	8.52	8.52	आईसीडी, तुगलकाबाद, दिल्ली	वॉटर पम्प
16	110	सामाजिक कल्याण अधिभार के अनुद्ग्रहण के कारण राजस्व की हानि	10.02			सीमा शुल्क (विमान पतन), कोलकाता	बैगेज
17	116	अधिसूचना लाभ की गलत स्वीकृति के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	20.20	20.20		एसीसी, एनसीएच (आयात) आयुक्तालय, दिल्ली	जीइस सर्जिकल ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप
18	126	आईजीएसटी का कम उद्ग्रहण	31.96	31.96	0.15	सीमा शुल्क (एनएस-5), जेएनसीएच	कंप्यूटर मॉनिटर्स
19	130	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	33.04	33.04	14.36	एनसीएच, दिल्ली	विभिन्न मशीने/पुर्जे

2021 की प्रतिवेदन संख्या 18 - संघ सरकार (अप्रत्यक्ष कर- सीमा शुल्क)

क्र.सं.	डीएपी सं	विषय	आपति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूल की गई राशि	आयुक्तालय	वस्तु
			(₹ लाख में)	(₹ लाख में)	(₹ लाख में)		
20	135	आईजीएसटी दर को गलत लागू करने के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	28.60	6.49	6.49	एनसीएच (आयात) दिल्ली	वॉटर पम्प के हिस्से
21	140	अधिसूचना लाभ की गलत प्राप्ति के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	48.87	48.87		सीमा शुल्क (आयात) -एनएस -1, जेएनसीएच, मुंबई	केवल कॉस्मेटिक और औद्योगिक उपयोग के लिए तेल
		<b>कुल</b>	<b>454.91</b>	<b>419.12</b>	<b>248.19</b>		

अनुबंध:5

छूट अधिसूचना को गलत लागू करना

(संदर्भ पैराग्राफ 3.8.8)

क्र.सं.	डीएपी सं	विषय	आपति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूल की गई राशि	आयुक्तालय	वस्तु
			(₹ लाख में)	(₹ लाख में)	(₹ लाख में)		
1	91	एंटी डंपिंग शुल्क का अनुद्ग्रहण	14.35	14.35	17.58	जेएनसीएच, मुंबई	क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड रेसिन (सीपीवीसी)
2	92	एंटी डंपिंग शुल्क का कम उद्ग्रहण	36.86	36.86		आईसीडी, तुंगलकाबाद	पीवीसी रेसिन एसजी 5 (विनाइलक्लोराइड मोनोमर का होमो पॉलिमर)
3	102	एंटी डंपिंग शुल्क का अनुद्ग्रहण	18.89			जेएनसीएच, मुंबई	सिरेमिक टेबलवेअर और किचनवेयर
4	107	एंटी डंपिंग शुल्क का अनुद्ग्रहण	10.82			जेएनसीएच, मुंबई	ओ-एसिड या ओफ्लॉक्सिन एसिड
5	136	एंटी डंपिंग शुल्क का अनुद्ग्रहण	12.54			कोलकाता (पतन)	क्विलयर फ्लोट ग्लास
		<b>कुल</b>	<b>93.46</b>	<b>51.21</b>	<b>17.58</b>		

अनुबंध:6

निर्यात संवर्धन योजनाओं के प्रावधानों की अननुपालना

(संदर्भ पैराग्राफ 4.2)

क्र.सं.	डीएपी सं	विषय	आपत्ति की गड़ राशि (₹ लाख में)	स्वीकृत राशि (₹ लाख में)	वसूल की गई राशि (₹ लाख में)	आयुक्तालय	वस्तु
1	12	ईपीसीजी योजना के तहत समानुपाती सीमा शुल्क की वसूली न होना	26.37	26.37		एडीजीएफटी, कोलकाता	लौह अयस्क पैलेट
2	13	एमईआईएस के तहत क्रेडिट की अनुचित अनुमति	11.80	11.80	16.30	जेडीजीएफटी, कोचीन	जमे हुए लॉबस्टर
3	16	ईपीसी योजना के तहत विदेशी मुद्रा में निर्यात दायित्व को पूरा न करना	14.80	14.80		जेडडीजीएफटी, कोलकाता	
4	19	एमईआईएस लाइसेंस का अनियमित अनुदान	17.74	17.74	23.32	जेडीजीएफटी, कोचीन	आलू
5	से 20	एमईआईएस के तहत शुल्क क्रेडिट का गलत अनुदान	13.55	3.14	3.14	जेडीजीएफटी, मदुरै	फ्रॉजन ऑक्टोपस
6	24	आईईआईएस के तहत रीवार्ड का गलत अनुदान	29.09	29.09	43.26	जेडीजीएफटी, मदुरै	कपास का धागा
7	31	सेलुलर फोन के लिए मुद्रित सर्किट बोर्ड के निर्यात के लिए शुल्क प्रतिअदायगी का अतिरिक्त भुगतान	34.93	34.93	38.37	सीमा शुल्क आयुक्तालय (चेन्नई-VII), एसीसी न्यू सीमा शुल्क हाउस, चेन्नई	सेलुलर मोबाईल फोन
8	32	एकीकृत कर (आईजीएसटी) का अनुद्ग्रहण	10.18	10.18	11.41	सीमा शुल्क उपायुक्त, सीमा शुल्क हाउस, मुंद्रा	तिल के कच्चे बीज
9	36	एमईआईएस के तहत शुल्क क्रेडिट का गलत अनुदान	11.79			जेडीजीएफटी, मदुरै	अन्य फ्रॉजन लॉबस्टर
10	44	डीटीए बिक्री पर सीमा शुल्क और अधिभार का कम भुगतान	12.44	12.44	13.67	एसईईपीजेड-सेज़ मुंबई	हाई प्रेशर गेट वाल्व

2021 की प्रतिवेदन संख्या 18 - संघ सरकार (अप्रत्यक्ष कर- सीमा शुल्क)

क्र.सं.	डीएपी सं	विषय	आपत्ति की गइ राशि	स्वीकृत राशि	वसूल की गइ राशि	आयुक्तालय	वस्तु
			(₹ लाख में)	(₹ लाख में)	(₹ लाख में)		
11	45	डीटीए बिक्रियों पर शुल्क का कम भुगतान	21.01	21.01	27.89	एसईईपीजेड -सेज़ मुंबई	खाद्य ग्रेड एंटीऑक्सिडेंट
12	46	टर्मिनल उत्पाद शुल्क प्रतिदाय की अधिक अनुमति	15.51	15.51		डीजीएफटी, मुंबई	
13	49	ईपीसीजी योजना में निर्यात दायित्व को पूरा न करना	32.21	32.21	5.35	सीमा शुल्क आयुक्तालय (विमान पत्तन और एसीसी), बेंगलुरु	डबल क्रीम भरने और पैकिंग करने वाली मशीन
14	50	ईपीसीजी योजना में निर्यात दायित्व को पूरा न करना	11.05	11.05	1.86	सीमा शुल्क आयुक्तालय (शहर), बेंगलुरु के तहत आईसीडी व्हाइटफील्ड	पूँजीगत माल
15	51	ईपीसीजी योजना में निर्यात दायित्व को पूरा न करना	10.76	10.76	17.22	अतिरिक्त डीजीएफटी, बेंगलुरु/आईसीडी व्हाइटफील्ड, बेंगलुरु	मानक सहायक उपकरण के साथ स्वचालित सिल्क रीलिंग मशीन
16	53	डीटीए बिक्री पर बीसीडी (छूट की वापसी) का भुगतान न करना	33.82	33.82	33.82	एसईईपीजेड -सेज़, मुंबई	सिरेमिक पिगमेंट/रंग और निकल डेरिवेटिव
17	58	एमईआईएस के तहत उत्पाद शुल्क क्रेडिट का अनुदान	10.78	10.78	10.78	जेडीजीएफटी, मदुरै	कॉटन ओवन होल्डर, एप्रन, कॉटन पॉट होल्डर
18	67	सीएसटी प्रतिदाय पर देर से कटौती का गैर/कम उद्ग्रहण	29.46	29.46	29.46	डेवलपमेंट आयुक्त (केएएसईजेड), गांधीधाम	
19	80	तदर्थ मानदंडों का निर्धारण न करना	25.97	25.84	25.84	एसईईपीजेड-सेज़ मुंबई	श्राउड प्लेट्स
20	81	डीटीए निकासियों पर बीसीडी का कम भुगतान	12.25	12.25	12.94	एसईईपीजेड -सेज़ मुंबई	परफ्यूम्स, डिओडोरेंट्स
21	103	अपात्र सेवाओं के लिए एसईआईएस शुल्क क्रेडिट का गलत अनुदान	16.17	16.17	15.36	क्षेत्रीय अतिरिक्त डीजीएफटी, चेन्नई	

2021 की प्रतिवेदन संख्या 18 - संघ सरकार (अप्रत्यक्ष कर- सीमा शुल्क)

क्र.सं.	डीएपी सं	विषय	आपत्ति की गड़ राशि	स्वीकृत राशि	वसूल की गई राशि	आयुक्तालय	वस्तु
			(₹ लाख में)	(₹ लाख में)	(₹ लाख में)		
22	108	एसआईओएन मानंदडों से अधिक स्क्रैप की डीटीए निकासियों पर कम भुगतान	14.21	14.21	14.32	विकास आयुक्त, एसईईपीजेड, मुंबई	विनिर्माण स्क्रैप
23	127	डीम्ड निर्यात पर टर्मिनल उत्पाद शुल्क का अतिरिक्त प्रतिदाय	21.59	21.59		डीजीएफटी, मुंबई	पूँजीगत माल
24	134	लागत वसूली प्रभारों में संशोधन न करना	23.66	23.66	23.66	सीमा शुल्क आयुक्त, नागपुर	
25	142	आयातित माल पर सीएसटी प्रतिपूर्ति का गलत अनुदान	22.49	22.49	22.49	विकास आयुक्त (केएएसईजेड), गांधीधाम	
		<b>कुल</b>	<b>483.63</b>	<b>461.30</b>	<b>390.46</b>		